न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

रोसड़ा थाना काण्ड सं0 191/20,कम्पयूटर निबंधन सं0 605/20

13.7.20 आवेदक **1. रमण पासवान,** जो रोसड़ा थाना काण्ड सं0 191/20, धारा–290 भा0द0वि0 एवं धारा–37(c) बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत दिनांक 30.6.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान वि0 लोक अभियोजक को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री शत्रुध्न पासवान के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। उसने किसी प्रकार के शराब का सेवन नही किया है। उसे मात्र ग्रामीण राजनीति एवं दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराऍ उसके विरूद्व नही बनती है। वह दिनांक 30.6.20 से काराधीन है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्त के विरूद्व धारा–290 भा0द0वि0 एवं धारा–37(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 2016 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्त के विरूद्व शराब पीकर घटनास्थल पर हंगामा करने का आरोप है जिसका सूचक द्वारा ब्रेथ एनालाईजर से जॉच करने पर उसका बी0ए0सी0 240एम0जी0/100एम0एल0 पाया गया।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्त **1. रमण पासवान** को (मो0 दस हजार रू0 के बंद्य–पत्र एवं समान राशि के एक प्रतिभूति दाखिल करने पर) औपबंधिक रूप से पी0आर0 बॉण्ड पर तीन माह या लॉकडाउन की अवधि तक (दोनो में जो भी पहले हो) जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

(लेखापित)

वि0 न्या0 उत्पाद